

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103004212013

दांडिक प्रकरण क.-505/13

संस्थापित दिनांक-30.12.13

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन	
विरुद्ध	
01-मोहन सिंह पुत्र दीपचंद राजपूत उम्र 35 वर्ष धंधा खेती, निवासी कतियापुरा चंदेरी जिला अशोकनगर।आरोपी	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री के एन भार्गव अधिवक्ता।

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 07.03.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 451, 354, 323 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03- प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 451 व 323 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 354 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04- अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी शोभा ने दिनांक 12.12.13 को आरक्षी केन्द्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को वह अपने घर पर अकेली थी तब उसके पड़ोस में रहने वाला मोहन सिंह राजपूत उसे अकेली समझकर उसके घर के अंदर घुस आया और बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़कर कमरे में खींचने लगा जिससे उसे दाहिने हाथ की कलाई में चूड़ी फूटकर लगी एवं खून निकलने लगा एवं झूमाझटकी की जिससे उसकी छाती में खरोंच आई। वह चिल्लाई तो आरोपी भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 468/13 के अंतर्गत भादवि की धारा 451, 354, 323 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05- प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 451, 354, 323 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 12.12.13 को समय 06.30 बजे फरियादी के घर के अंदर ग्राम कतियापुरा अंतर्गत थाना चंदेरी में फरियादी के घर में घुसकर फरियादी शोभा जो कि एक स्त्री है की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नीयत से उसका हाथ पकडकर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 शोभा एवं अ.सा. 02 दशरथ की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 शोभा ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को वह अपने घर पर काम कर रही थी तब आरोपी घर के बाहर गाली गलौच कर रहा था। उक्त साक्षी के अनुसार कहासुनी के बाद आरोपी वापस चला गया था तथा उसके पति के आने के बाद उसने प्रपी 01 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। उक्त साक्षी के अनुसार प्रपी 03 के पंचनामे पर उसके हस्ताक्षर हैं, किंतु किस बात के हस्ताक्षर हैं इसकी जानकारी उसे नहीं है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकडा था। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उसके साथ झूमाझटकी की थी। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्रपी 04 का ए से ए भाग पुलिस को देने से इंकार किया है। अ. सा. 02 दशरथ ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी उसकी पत्नी के साथ गाली गलौच कर रहा था। उक्त साक्षी ने भी इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उसके घर में घुसकर उसकी पत्नी के साथ झूमाझटकी एवं छेडछाड की थी। अभियोजन ने उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी ने फरियादिया का बुरी नीयत से हाथ पकडकर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया था।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 354 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा घटनास्थल से चूडियों के टुकड़े आदि मुताबिक जप्ती पत्रक अनुसार मूल्यहीन होने से अपीलावधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द. प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)